

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-१/२०२२/

लखनऊ, दिनांक- २६ दिसम्बर, २०२२

:::: नियुक्ति पत्र ::::

राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-१०००/०७/स्टाफ नर्स/एस-६/२०२१-२२, दिनांक-३० नवम्बर, २०२२ के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार ०६ महिला अभ्यर्थियों एवं ०२ पुरुष अभ्यर्थियों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० ४४९००-१४२४०० (लेवल-७) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति/तैनाती की जाती हैं :-
महिला अभ्यर्थी

S.No	Applicant Name	Guardian Name	Applicant Category
1	Neha Sharma	Bikram Prasad Sharma	OBC
2	Meera Pal	Omprakash Pal/ Ajit Pal	OBC
3	Pal Komal Rammurat singh	Ramsurat Singh/ Hemant Pal	OBC
4	Shweta Kushwaha	Mahendra Shankar Kushwaha	OBC
5	Neeharika Yadav	Gopi Chandra Yadav	OBC
6	Km Priynka	Muna Lal	SC

पुरुष अभ्यर्थी

S.No	Applicant Name	Guardian Name	Applicant Category
1	Vishnu Kumar	Sharman Lal	UR
2	Rahul Shukla	Ganesh Datt Shukla/ Anuradha Shuka	EWS

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- नियुक्ति रिट याचिका संख्या-३२६८/२०२२ प्रज्ञा व ४ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-१८१५/२०२२ प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-३३८४/२०२२ विजय कुमार व ५ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व ३ अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-१४१९२/२०२२ विनीता पाल व २४ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व ३ अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-२०१६ एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-४ के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/संस्थान में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

7. उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के चरित्र के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-
1. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
 2. अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।
 3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
 5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
 6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
 7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

(श्रुति सिंह)

महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2022/4249-57

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 08 अभ्यर्थियों के प्रपत्रों को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय के साथ-साथ सम्बन्धित प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, कानपुर को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

(श्रुति सिंह)

महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

संख्या-एम0ई0-1/2022/

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ0प्र0)।

लखनऊ, दिनांक- 26 दिसम्बर, 2022

:::: नियुक्ति पत्र :::

राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1000/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22, दिनांक-30 नवम्बर, 2022 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 06 महिला अभ्यर्थियों एवं 01 पुरुष अभ्यर्थियों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू0 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति/तैनाती की जाती हैं :-

महिला अभ्यर्थी

S.No	Applicant Name	Guardian Name	Applicant Category
1	Vidushi Yadav	Rajvir Singh Yadav / Abhishek Kumar Yadav	OBC
2	Ruby Kamal	Raish Ahmad kamal / Afzal	OBC
3	Blassi Matthew	Matthew Katti George	UR
4	Priyanka Bhati	maharaj Singh Bhati	OBC
5	Chitra lekha	Raj Kanran yadav	OBC
6	Jyoti Verma	Vikash Kumar	OBC

पुरुष अभ्यर्थी

S.No	Applicant Name	Guardian Name	Applicant Category
1	Gaurav Kumar	Maharaj Singh / Nidhi Rani	EWS

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- नियुक्ति रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/संस्थान में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

7. उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के चरित्र के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-
1. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
 2. अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।
 3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
 5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
 6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
 7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

(श्रुति सिंह)

महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2022/4259-67

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 07 अभ्यर्थियों के प्रपत्रों को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय के साथ-साथ सम्बन्धित प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

(श्रुति सिंह)

महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

संख्या-एम0ई0-1/2022/

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ0प्र0)।

लखनऊ, दिनांक- १६ दिसम्बर, 2022

.... नियुक्ति पत्र

राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1000/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22, दिनांक-30 नवम्बर, 2022 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 04 महिला अभ्यर्थियों एवं 02 पुरुष अभ्यर्थियों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू0 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति/तैनाती की जाती हैं :-

महिला अभ्यर्थी

Sl.No	Applicant Name	Guardian Name	Applicant Category
1	Ritu Sharma	Ganesh Chandra	OBC
2	Richa Singh	Ashak Singh	UR
3	Pooja	Arvind Kumar	SC
4	Rinki Kumari	Sewa Ram	SC

पुरुष अभ्यर्थी

Sl.No	Applicant Name	Guardian Name	Applicant Category
1	Kuldeep Saini	Ramesh Chand Saini/Rachna Saini	UR
2	Mohammad Shafi Alam	Babir Khan/ Sama Praveen	OBC

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- नियुक्ति रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/संस्थान में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के चरित्र के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

(2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

1. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
2. अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।
3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।

(3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

(4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

(5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2022/4269-77

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 06 अभ्यर्थियों के प्रपत्रों को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय के साथ-साथ सम्बन्धित प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

स्पीड पोस्ट

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

संख्या-एम0ई0-1/2022/

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ0प्र0)।

लखनऊ, दिनांक- 26 दिसम्बर, 2022

.... नियुक्ति पत्र

राजकीय मेडिकल कालेज, झॉसी में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1000/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22, दिनांक-30 नवम्बर, 2022 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 04 महिला अभ्यर्थियों एवं 02 पुरुष अभ्यर्थियों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू0 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति/तैनाती की जाती हैं :-

महिला अभ्यर्थी

S.No	Applicant Name	Guardian Name	Applicant Category
1	Brijesh Kumari	Chetan Singh/ Rajkumar Chahar	OBC
2	Suman Patel	Raj Bahadur Patel/ Arbindra patel	OBC
3	Ekta Singh	Shailendra Singh / Anup kumari singh	UR
4	Pragyan Mishra	Yogesh Mishra	UR

पुरुष अभ्यर्थी

S.No	Applicant Name	Guardian Name	Applicant Category
1	Basdev Prasad	Bhagwan Singh/ Preeti Yadav	OBC
2	Kishan Kumar	Ram Briksha / Suneeta Devi	SC

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- नियुक्ति रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/संस्थान में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

7. उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के चरित्र के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

(2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

1. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
 2. अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।
 3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
 5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
 6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
 7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2022/4279-87

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झॉंसी को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 06 अभ्यर्थियों के प्रपत्रों को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झॉंसी को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय के साथ-साथ सम्बन्धित प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, झॉंसी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, झॉंसी
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, झॉंसी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

संख्या-एम0ई0-1/2022/

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ0प्र0)।

लखनऊ, दिनांक- 26 दिसम्बर, 2022

.... नियुक्ति पत्र

राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1000/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22, दिनांक-30 नवम्बर, 2022 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 06 महिला अभ्यर्थियों एवं 02 पुरुष अभ्यर्थियों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू0 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति/तैनाती की जाती है :-

महिला अभ्यर्थी

S.No	Applicant Name	Guardian Name	Applicant Category
1	Km. Shiva Dulari	Bihari Lal	OBC
2	Puja Kurmi	Krishna Kumar Kurmi	OBC
3	Babita Yadav	Yam Karan	OBC
4	Laxmi Devi	Ram prakash/ Nirbhaya Kumar	OBC
5	Bandana	Suresh Prasad	OBC
6	Pooja Agnihotri	Chandrita prasad Agnihotri	UR

पुरुष अभ्यर्थी

S.No	Applicant Name	Guardian Name	Applicant Category
1	Anubhav Patel	ShriKrishna Patel/ Shivangi Patel	OBC
2	Ashish Kumar Singh	Ramnaresh Singh / Ram Lali	OBC

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- नियुक्ति रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परीवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/संस्थान में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

7. उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के चरित्र के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-
1. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
 2. अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।
 3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
 5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
 6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
 7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

तददिनांक।

संख्या- एम0ई0-1/2022/4289-97

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 08 अभ्यर्थियों के प्रपत्रों को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय के साथ-साथ सम्बन्धित प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, प्रयागराज को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

संख्या-एम0ई0-1/2022/

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ0प्र0)।

लखनऊ, दिनांक- 26 दिसम्बर, 2022

:::: नियुक्ति पत्र :::

राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1000/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22, दिनांक-30 नवम्बर, 2022 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 06 महिला अभ्यर्थियों एवं 02 पुरुष अभ्यर्थियों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू0 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति/तैनाती की जाती हैं :-

महिला अभ्यर्थी

S.No	Applicant Name	Guardian Name	Applicant Category
1	Shashikala Yadav	Prushotam Yadav/ Jai Singh	OBC
2	Sneha Yadav	Virendra Yadav	OBC
3	Jagriti Rai	Daya shankar Rai/ Amit Rai	UR
4	Deepti Chaudhary	Rajeshwor Prasad	OBC
5	Nidhi Pandey	Late Satyadev pandey/ Ambika pandey	EWS
6	Poonam	Rajaram Sharma/ Santosh sharma	EWS

पुरुष अभ्यर्थी

S.No	Applicant Name	Guardian Name	Applicant Category
1	Raunak Verma	Sunil Datt Verma	OBC
2	Satyam Mishra	Janardhan Mishra/ Punam Mishra	EWS

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- नियुक्ति रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/संस्थान में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

7. उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के चरित्र के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

(2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

1. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
 2. अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।
 3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
 5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
 6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
 7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2022/4299-4307

तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 08 अभ्यर्थियों के प्रपत्रों को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय के साथ-साथ सम्बन्धित प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, गोरखपुर को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

संख्या-एम0ई0-1/2022/

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ0प्र0)।

लखनऊ, दिनांक- 26 दिसम्बर, 2022

.... नियुक्ति पत्र

राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1000/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22, दिनांक-30 नवम्बर, 2022 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 05 महिला अभ्यर्थियों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू0 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति/तैनाती की जाती हैं :-

S.No	Applicant Name	Guardian Name	Applicant Category
1	Km Pushpanjali	Parash Nath	
2	Kalindi Patel	Jai prakash Patel	OBC
3	Seema	Rajkumar/ Ashok Kumar	OBC
4	Alisha Edward	Ravi Edward	UR
5	Sushama	Ajay Kumar	UR
			SC

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
 - नियुक्ति रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
 - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
 - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
 - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/संस्थान में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
 - उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के चरित्र के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

1. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
2. अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।
3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

तद्दिनांक -

संख्या- एम0ई0-1/2022/4309-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 05 अभ्यर्थियों के प्रपत्रों को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय के साथ-साथ सम्बन्धित प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आजमगढ़ को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

संख्या-एम0ई0-1/2022/

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ0प्र0)।

लखनऊ, दिनांक- 26 दिसम्बर, 2022

.... नियुक्ति पत्र

राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1000/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22, दिनांक-30 नवम्बर, 2022 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 02 महिला अभ्यर्थियों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू0 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति/तैनाती की जाती हैं :-

S.No	Applicant Name	Guardian Name	Applicant Category
1	Shilpi Gupta	Shri Ram Gupta/ Rajmani Gupta	OBC
2	Archana Kumari	Shahab Prasad	SC

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
 - नियुक्ति रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
 - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
 - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
 - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/संस्थान में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
 - उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के चरित्र के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-
- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
 - अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2022/4319-27

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 02 अभ्यर्थियों के प्रपत्रों को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय के साथ-साथ सम्बन्धित प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, अम्बेडकरनगर
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, अम्बेडकरनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2022/

लखनऊ, दिनांक- 26 दिसम्बर, 2022

.... नियुक्ति पत्र

राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1000/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22, दिनांक-30 नवम्बर, 2022 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 02 महिला अभ्यर्थियों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति/तैनाती की जाती है :-

S.No	Applicant Name	Guardian Name	Applicant Category
1	Sunita Kumawat	Ashok Kumar Kumawat	UR
2	Manju Kumari	Devki Nandan / Ranjit Kumar	OBC

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
 - नियुक्ति रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
 - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
 - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
 - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/संस्थान में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
 - उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के चरित्र के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-
- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
 - अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
 5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
 6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
 7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

तददिनांक।

संख्या- एम0ई0-1/2022/4329-37

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 02 अभ्यर्थियों के प्रपत्रों को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कन्नौज को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय के साथ-साथ सम्बन्धित प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, कन्नौज को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

संख्या-एम0ई0-1/2022/

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ0प्र0)।

लखनऊ, दिनांक- 26 दिसम्बर, 2022

:::: नियुक्ति पत्र ::::

राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1000/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22, दिनांक-30 नवम्बर, 2022 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु0 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्ति/तैनाती की जाती है :-

महिला अभ्यर्थी

S.No	Applicant Name	Guardian Name	Applicant Category
1	Aruna Goel	Shiv Kumar Agarwal	UR

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
 - नियुक्ति रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
 - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
 - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
 - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/संस्थान में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
 - उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के चरित्र के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-
- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
 - अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
 5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
 6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
 7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

तद्दिनांक।

संख्या- एम0ई0-1/2022/4339-47

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थियों के प्रपत्रों को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय के साथ-साथ सम्बन्धित प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, सहारनपुर को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहारनपुर
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट